198

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–टीकमगढ़

सरस्वती पत्नी हरीराम खंगार
निवासी – ग्राम कलोधरा, तहसील निवाडी,
जिला – टीकमगढ़ (म.प्र.)

..... आवेदिका

विरूद्ध

1– चैने तनय रंजीत चमार
2– वृजलाल तनय ग्यासी चमार
3– आशाराम तनय वृजलाल चमार
4– हरगोविन्द तनय पुनू चमार
5– चैनू तनय विलासी चमार
6– कमलेश तनय बाबूलाल चमार
7– गोरेलाल तनय विदर चमार
8– देशराज तनय विठल्ले कुशवाह
9– चेतराम तनय करन्जू काछी
10– हरजू तनय करन्जू काछी
11– दीनदयाल तनय ग्यासी चमार
12– वल्देवप्रसाद तनय रंजीत चमार
13– शिवदयाल तनय करन्जू कुशवाह
14– मन्नूलाल तनय विदर चमार
15– प्यारेलाल तनय झुण्डे काछी
16– ग्यादीन तनय रतीराम धोबी
17– राजाराम तनय रतीराम धोबी
18– वुद्धप्रकाश तनय वैजनाथ चमार
19– मोहन तनय वल्देव चमार
20– मनीराम तनय लल्ली ढीमर
21– वल्ले तनय गोपाल चमार
22– डालचन्द्र तनय हरदास चमार
23– अस्सू तनय बिहारी काछी
24– रमेश तनय रामकिशन बेड़िया
25– राजेश तनय कासम नट
26– भागीरथ तनय भगवानदास ढीमर
27– अशोक तनय ननू काछी
28– मुन्नालाल तनय मनीराम ढीमर
29– रामप्रकाश

40– सोनीलाल, तनय किशन अहिरवार
41– देवीप्रसाद तनय किशन अहिरवार
42– जगदीश, तनय गनेश कुशवाह
43– शिवदयाल तनय गनेश कुशवाह
44– मोहन तनय गनेश कुशवाह
45– तिजू तनय कनई अहिरवार
46– मुन्नालाल तनय विदर चमार
47– कामता तनय तांती चमार
48– हरीराम तनय धन्सू कुम्हार
49– रमेश तनय बेजनाथ चमार
50– वहोरन तनय बेजनाथ चमार
51– मोहन तनय धिनऊ अहिरवार
52– लल्लू तनय धिनऊ अहिरवार
53– वल्ले तनय हरदास कुम्हार
54– संतोष तनय मोतीलाल खंगार
55– किशोरी तनय चिपू अहिरवार
56– गुडडी पत्नी पातीराम कोरी
समस्त निवासीगण – ग्राम कलोधरा, तहसील निवाडी जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 105/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 09.07.2003 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, तहसीलदार निवाडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2002 के अनुसार भूमि का आवंटन किया गया है, जिसमें पात्रता की विधिवत् जॉच की जाकर भूमि का आवंटन किया गया था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विधिवत् विचार किये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदिका को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही जो आदेश पारित किया गया है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि आवेदिका ग्राम कलोधरा की निवासी नहीं है बल्कि नौरा की निवासी है, जबकि यह कथन वास्तविकता के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.- 2680-एक/ 2016 | जिला-टीकमगढ़

सरस्वती विरूद्ध चैने आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 105/अपील/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 09-07-2003 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 09-08-2016 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उनहें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगड़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11.1.19
सदस्य